न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल

जमानत आवेदन संख्या–198/2026

(पिपरा थाना कांड सं0–101/2020)

<table>
<tr><td></td><td>मुसहरू मंडल, पे0 स्व0 बच्चा मंडल, साकिन सखुआ, थाना पिपरा, जिला सुपौल
....अभियुक्त/आवेदक
बनाम्
बिहार सरकार..विपक्षी</td><td></td></tr>
<tr><td>09/04/26</td><td>प्रस्तुत जमानत आवेदन काराधीन अभियुक्त आवेदक मुसहरू मंडल की ओर से दाखिल किया गया है जो पिपरा थाना कांड संख्या–101/2020, धारा– 341, 323, 324, 325, 308, 427, 504, 506/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दिनांक 09/03/2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।
जमानत के बिन्दु पर अभियुक्त आवदेक के विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नेश कुमार रतन एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री जे0एन0 पाण्डेय को सुना।
अभियुक्त आवदेक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियुक्त आवदेक बिल्कुल निर्दोष है तथा इनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। अभियुक्त आवेदक के विरूद्व पूर्व से 02 आपराधिक जो पिपरा थाना कांड सं0–274/2023 एवं पिपरा थाना कांड सं0– 77/2021 दर्ज है। उभयपक्षों के मध्य पूर्व से जमीन संबंधी विवाद चल रहा है। अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त आवेदक को धारा 41 (1) द0प्र0सं0 के अंतर्गत पुलिस द्वारा एकरारनामा पर छोड़ा गया था। अभियुक्त आवदेक दिनांक 09/03/2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त आवदेक स्वच्छ जमानतदार देने के लिए तैयार है। अत : अभियुक्त आवदेक को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है।
विद्वान लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।
अभियुक्त आवेदक सूचक गौपाल चौधरी के लिखित आवेदन के आधार पर संस्थित पिपरा थाना कांड संख्या–101/2020, धारा–341, 323, 325, 307, 354, 427, 379, 447, 504, 506/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त है। सूचक ने अपने आवेदन में अभिकथन किया है, दिनांक 12.04.2020 दिन रविवार समय करीब 03:30 बजे दिन में वे गेहूँ तैयार कर घर में रख रहा था, तो अभियुक्त आवेदक सह अभियुक्तों के साथ मिलकर हरवे, हथियार से लैश होकर आया और गाली गलौज देने लगा, जिसे उसके द्वारा मना करने पर सत्तों मंडल के आदेश पर विरेन्द्र मंडल फरसा से जान मारने की नियत से उसके भतीजा चन्द्रभूषण चौधरी के सर पर मारा, जिसे उसका सर फट गया, खून बहने लगा, मुसहरू मंडल रड से उसके बायॉ पैर पर मारा, जिसे उसका पैर टूट गया तथा हल्ला पर शिवु चौधरी, मसोमात ठकनी देवी, कविचन्द्र चौधरी भाभी बिन्दी देवी, पुतोह प्रिती देवी बचोन अीय तो सुरेन्द्र मंडल ने लाठी से उसकी भाभी मसोमात ठकनी देवी को मारा, जिसे वह बेनग्न हो गयी। ललन मंडल उसके भतीजा कविचन्द्र चौधरी को लाठी से दोनो हाथ पर मारा, लल्लू मंडल लाठी से शिवू चौधरी के पीठ पर मरा, सुनिता देवी एवं बिन्द्री देवी के गला से सोने का चेन दीपक मंडल एवं ललन मंडल छीन लिया तथा सभी मुदालह दरवाजे पर रखा मोटर साईकिल को क्षतिगस्त कर दिया</td><td>लगातार...</td></tr>
</table>

न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल

जमानत आवेदन संख्या–198/2026
(पिपरा थाना कांड सं0–101/2020)

लगातार... **09/04/26**	तथा घर के खिड़की, दरवाजा को तोड़ दिया तथा 02 क्विंटल गेहूँ लेकर भाग गया। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त आवदेक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। वाद दैनिकी के कंडिका 23 में सूचक सह जख्मी का जख्म प्रतिवेदन का उल्लेखित है, जिसमें चिकित्सक ने अपने जख्म प्रतिवेदन में Injury in gravious in nature and caused by hard & blunt substance का वर्णन किया है। अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त आवेदक को धारा 41 (1) द0प्र0सं0 के अंतर्गत पुलिस द्वारा एकरारनामा पर छोड़ा गया था तथा उनके विरूद्व धारा 341, 323, 324, 325, 308, 427, 504, 506/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र भी समर्पित किया जा चुका है। अभियुक्त अभियुक्त आवेदक दिनांक 09/03/2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं काराअवधि को ध्यान में रखते हुये अभियुक्त आवदेक को जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्त आवेदक **मुसहरू मंडल** की ओर से दाखिल जमानत आवेदन स्वीकृत की जाती है। अभियुक्त आवेदक को निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर 20,000/– रूपये के एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त पर जमानत दिया जाता है कि एक जमानतदार परिवार के सदस्य या नजदीकी रिस्तेदार होगें। लेखापित –हस्ता0– (अनंत सिंह) प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल	